

वैश्विक स्तर पर बालकों के मानवाधिकार

हेमलता कुम्पावत

एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग स.पू.चौ.रा. महाविद्यालय अजमेर

शोध सार

मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास एवं जीवन के निर्बाध संचालन हेतु अधिकार आवश्यक एवं मूलभूत परिस्थितियां हैं मानव अस्तित्व के संरक्षण हेतु आवश्यक होने के कारण अधिकार मनुष्य के जन्म से ही निहित होते हैं। मानव जीवन की गरिमा एवं स्वतन्त्रता से संबंधित होने के कारण ये अधिकार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं भौतिक कल्याण में भी आवश्यक होते हैं। इनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। इन अधिकारों की अपरिहार्यता राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय सीमाओं से परे है। बालकों के लिए भी मानवाधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं ताकि वे भी सम्मानजनक और गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें।

संकेताक्षर – बाल अधिकार, अधिनियम, अभिसमय, यूनिसेफ, आईएलओ

प्रस्तावना –

विभिन्न राष्ट्रों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विधिक प्रणाली उनके विचार एवं उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में भिन्नता होने के कारण मानवाधिकार का अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानव जीवन के सफल संचालन हेतु नागरिक आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार सम्मिलित रहते हैं। मानवाधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में सर्वोच्चता प्राप्त है क्योंकि इन अधिकारों का अतिक्रमण राज्य द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अध्याय तीन में भी मूल अधिकार प्रदान किये गए हैं और इनके संरक्षण का उत्तरदायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है। इसी प्रकार अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकृत कर सार्वजनिक घोषणा पत्र के रूप में मान्यता दी गई है। मानवाधिकारों की सार्वभौतिक घोषणा 1948 को ध्यान में रखकर सभी व्यक्तियों को मूलभूत अधिकार प्रदान किये गए हैं।

बालक का अर्थ –

किसी भी राज्य के भविष्य की तस्वीर उस देश में निवास करने वाले बालकों की आँखों में देखी जा सकती है देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का बालकों के मनो-मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है किसी भी देश की परिस्थितियों का आंकलन उस देश में निवास करने वाले बालकों की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार – “कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो वह बालक है।”

जब हम व्यक्ति को परिभाषित करते हैं तो बालकों को नजर अंदाज कर देते हैं यद्यपि बालक अपने अधिकारों के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर रहते हैं, किन्तु जब उनके माता-पिता अथवा संरक्षक उसकी कठिनाईयों को समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे समय में उन्हें बाहरी व्यक्ति के शोषण का शिकार बनना पड़ता है। कई बार बालक स्वयं के परिवार द्वारा भी शोषित एवं प्रताड़ित होता है। इसके अतिरिक्त बालक मानव तस्करी, बालश्रम, बंधुआ मजदूर, वैष्यावृत्ति, घरेलु सहायक आदि बुराईयों का सामना भी अपनी सुकुमार अवस्था में करता है। बालकों की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जो इस प्रकार हैं

लीग आफ नेशन 1924 :- इसमें जिनेवा घोषणा को अपनाया गया था जिससे बालकों के विषिष्ट अधिकारों के अस्तित्व को बनाए रखने और बालकों के प्रति व्यस्कों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 :- सार्वभौमिक घोषणा में सर्वप्रथम इस धारणा को स्वीकार किया गया कि “मानव जाति द्वारा बालकों को उनका सर्वोत्तम देना होगा।”

बाल अधिकारों की घोषणा 1959 :- सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवम्बर 1959 को महासभा के सभी 78 सदस्य राष्ट्रों द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा की गई जिसमें कहा गया कि “बालक को सार्वभौमिक रूप में एक मानव के रूप में पहचाना जाना चाहिए, जिसे स्वतन्त्रता एवं सम्मान के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास रूप से मदद मिल सके।

बाल अधिकारों की घोषणा में दस मानव अधिकार प्रदान किये गए हैं जो इस प्रकार हैं –

- बालक को जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव के बिना समानता का अधिकार।
- बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हेतु विशेष सुरक्षा का अधिकार।
- बालक को नाम राष्ट्रीयता एवं स्वयं की पहचान का अधिकार।
- पर्याप्त पोषण आवास एवं चिकित्सकीय सेवाओं का अधिकार।

- विषिष्ट बालक होने पर विशेष सुरक्षा एवं उपचार का अधिकार।
- माता-पिता द्वारा समझने एवं प्यार करने का अधिकार।
- मनोरंजक गतिविधि एवं मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
- समस्त आपातकालीन परिस्थितियों में सर्वप्रथम राहत पाने का अधिकार।
- सभी प्रकार भी उपेक्षा क्रूरता और शोषण से सुरक्षा का अधिकार।
- समझ, सहिष्णुता लोगों के बीच मित्रता और भाईचारे की भावना में लाए जाने का अधिकार।

उपर्युक्त अधिकार बालकों से व्यक्तित्व के विकास एवं गरिमामय जीवन हेतु अति आवश्यक है।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन 1989 –

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है जो न केवल बालकों के अधिकारों पर बल देता है वरन उन्हें संवैधानिक उपचार भी चार (पी) के माध्यम से प्रदान करता है जो इस प्रकार है –

- बालकों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में बालकों की भागीदारी।
- बालकों के विरुद्ध सुरक्षा भेदभाव व सभी प्रकार के शोषण व उपेक्षा की रोकथाम।
- बालकों को नुकसान पहुँचाने की रोकथाम।
- बालकों की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सहायता का प्रावधान।

यूनिसेफ (यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन फंड) –

द्वितीय विश्व युद्ध में पीड़ित राष्ट्रों के बालकों के स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसम्बर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। यह 196 से अधिक देशों में वंचित बालकों को टीकाकरण बीमारियों की रोकथाम, शिक्षा मातृपोषण की सुनिश्चित करना, आपातकालीन एवं प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा आदि से सम्बन्धित सुरक्षा संरक्षण एवं सहायता प्रदान करता है।

अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन –

अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन बालकों के स्वास्थ्य नैतिकाता, सुरक्षा और स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले कार्यों पर तत्काल रोक का आह्वान करता है। इसने 2002 से 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध

विषय दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया इसमें बालकों से सम्बन्धित दो अभिसमय 182 एवं 138 महत्वपूर्ण है।

अभिसमय 182 :- यह बालश्रम के सबसे खराब रूप जैसे गुलामी, यौन शोषण, सशस्त्र संघर्ष में बालकों का उपयोग आदि से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।

अभिसमय 138 :- इस अभिसमय द्वारा रोजगार में बालकों के प्रवेश की आयु निश्चित की गई है। यह अभिसमय सामान्य कार्यों में प्रवेश हेतु 14 वर्ष, खतरनाक कार्यों में 18 वर्ष निर्धारित करता है।

भारतीय संविधान एवं बाल मानवाधिकार –

भारतीय संविधान द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय 138 एवं 182 के प्रावधानों के अनुसार बालकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधान हैं; जैसे अनुच्छेद 23 एवं 24 द्वारा बालकों के जबरन क्रय-विक्रय पर रोक, बलात् श्रम और हानिकारक व्यवसायों में कार्य करना वर्जित किया गया है। इसी प्रकार बालश्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 द्वारा भी बालकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है।

निष्कर्ष –

अन्तराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर बालकों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने एवं उनके संरक्षण हेतु यद्यपि विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी बालकों का शोषण अनवरत रूप से जारी है बालकों का शोषण विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक होता है। वैश्विक स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ विभिन्न संस्थाएँ बाल मानवाधिकारों हेतु प्रयत्नशील है। इसके उपरान्त भी बालश्रम, बाल तस्करी, लैंगिक भेदभाव आदि चुनौतियाँ बनी हुई है।

अतः समाज, सरकार और अन्तराष्ट्रीय संगठनों को मिलकर बाल मानवाधिकारों हेतु कार्य करने होंगे तभी बालकों का जीवन खुषहाल हो सकता है।

संदर्भ सूची –

1. सैनी, श्रवण कुमार (2013) : मानवाधिकार विधियाँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृ.सं. 293
2. सिंह, नगेन्द्र (1985) : ह्यूमन राइट्स इन चेजिंग वर्ल्ड, क्लेरेडन प्रेस, आक्सफोर्ड
3. जोषी आर.पी. (2005) : मानव अधिकार एवं कर्तव्य जयपुर प्रकाश, पृ.सं. 80

4. बसु, डी.डी. (1994) : ह्यूमन राइट्स इन कान्स्टीट्यूशनल ला, वाधवा एवं एण्ड कम्पनी प्रकाशन, पृ.सं. 5
5. द राफेल (1967) : ह्यूमन राइट्स ओल्ड एण्ड न्यू पोलिटिकल थ्योरी एण्ड राइट्स ऑ पेन, पृ. सं. 54
6. डब्ल्यू, मिलर (1977) : ह्यूमन राइट्स एण्ड बिसिलियोग्राफी, ए.बी.सी. क्लियो प्रेस प्रकाशन, सांता बारजारा, केलिफोर्निया
7. राबर्टसन, ए.एच. (1972) : द इन्टरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेन्टो प्रेस, पृ.सं. 3